



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2013/पौष 20, 1934

No. 117]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2013/PAUSA 20, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2013

का.आ. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य के नबरंगपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 के किमी 25+000 से किमी 59+000 तक (डिजाइन चैनेज) भूमि खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए वह भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की एतद्द्वारा घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नबरंगपुर, जिला नबरंगपुर, ओडिशा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के बाद उसे आदेश द्वारा या तो अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की आयोजना और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

अनुसूची

संरचना के साथ अथवा संरचना के बगैर अधिगृहीत की जाने वाली उस भूमि का संक्षिप्त विवरण जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 201 के किमी 25.00 से किमी 59.00 (नबरंगपुर-कोकासारा) तक के भूमि के खंड के अंदर पड़ती है।

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वे सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षे. (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नबरंगपुर	नबरंगपुर	तारागम	149	सरकारी भूमि	एन. एच.	0.0125
				148	निजी भूमि	धान-I	0.0594
			चिकली	741	निजी भूमि	अटल	0.2351
				739	सरकारी भूमि	एन. एच.	0.0474
				740	निजी भूमि	अटल	0.0096
				735	सरकारी भूमि	सड़क	0.1467
				738	निजी भूमि	असिंचित-I	0.1639
				737	निजी भूमि	धान-II	0.2564
				742	सरकारी भूमि	नाला	0.0252
		पापडाहांडी	पापडाहांडी	1297	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0015
				1296	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0019
				1283	सरकारी भूमि	विकास कार्य	0.0114
				1266	सरकारी भूमि	गांव सड़क	0.0013
				1226	सरकारी भूमि	एन. एच.	0.0049
				1227	सरकारी भूमि	एन. एच. (नाला)	0.0024
				1229	सरकारी भूमि	एन. एच. (नाला)	0.0009
				1230	सरकारी भूमि	एन. एच. (नाला)	0.0023
				1063	सरकारी भूमि	गांव स्थल	0.0085
				1062	सरकारी भूमि	कूप	0.0045
				1061	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0063
				1060	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0011
				1042	सरकारी भूमि	गांव सड़क	0.0020
				1034	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0034
				1033	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0026
				1032	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0027
				1031	सरकारी भूमि	एन. एच.	0.0156

						(नाला)	
				1029	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0029
				957	सरकारी भूमि	विकास कार्य	0.0027
				958	सरकारी भूमि	गांव सड़क	0.0026
				959	सरकारी भूमि	विकास कार्य	0.0013
				997	सरकारी भूमि	गांव स्थल	0.0026
				984	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0012
				987	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0045
				988	सरकारी भूमि	हाई स्कूल स्थल	0.0022
				989	सरकारी भूमि	हाई स्कूल स्थल	0.0108
				977	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0114
				379	सरकारी भूमि	डी-II	0.0039
				435	निजी भूमि	धान - I	0.0045
				436	निजी भूमि	धान - I	0.0294
				439	सरकारी भूमि	पी. डब्ल्यू. डी. नाला	0.0010
				660	निजी भूमि	धान - II	0.0202
				623	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0494
			बंकासोरगी	252	सरकारी भूमि	एन. एच. नाला	0.0114
				253	निजी भूमि	धान - II	0.0123
				258	निजी भूमि	धान - II	0.0134
			प्रधानीगुडा	390	सरकारी भूमि	मैंगो टॉप	0.0095
				391	सरकारी भूमि	गांव स्थल	0.0046
			तुंबेरल्ला	100	सरकारी भूमि	नाला	0.0035
				103	निजी भूमि	धान - II	0.0072
				115	निजी भूमि	धान - II	0.0071
				117	निजी भूमि	धान - II	0.0179
				118	निजी भूमि	धान - II	0.0336
			धनसुली	968	निजी भूमि	धान - I	0.0386
				1004	निजी भूमि	धान - I	0.0268
				948	निजी भूमि	धान - I	0.0266
				837	निजी भूमि	डीआर.-II	0.0326
				826	सरकारी भूमि	गांव वन	0.0494
				803	सरकारी भूमि	गांव वन	0.0070
				804	सरकारी भूमि	गांव वन	0.0371
				824	सरकारी भूमि	गांव वन	0.0352
				805	निजी भूमि	धान - II	0.0196

				823	सरकारी भूमि	गांव वन	0.0020
				814	निजी भूमि	धान - II	0.0027
				820	निजी भूमि	धान - II	0.0106
				818	सरकारी भूमि	श्मशान भूमि	0.0119
				813	निजी भूमि	धान - II	0.0136
				812	निजी भूमि	डीआर.-II	0.0147
				208	सरकारी भूमि	श्मशान भूमि	0.0120
				206	सरकारी भूमि	नदी	0.0064
				212	सरकारी भूमि	नदी	0.0082
			सेमला	1221	सरकारी भूमि	गांव सड़क	0.0085
				1007	निजी भूमि	धान - II	0.0141
			मैदलपुर	733	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0010
				734	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0036
				735	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0049
				736	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0025
				754/1131	निजी भूमि	असिंचित.-I	0.0021
				773	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0059
				774	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0020
				775	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0039
				778	निजी भूमि	गृह स्थल	0.0029
				866	निजी भूमि	धान-I	0.0287
				609	निजी भूमि	धान-II	0.0028
				608	निजी भूमि	धान-I	0.0260
				603	निजी भूमि	असिंचित.-I	0.0035

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12012/5/2011/एसपी (डब्ल्यू बैंक)/(डी-9)/पी-9]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2013

S.O. 121(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building maintenance, management and operation of National Highway 201 on the stretch of land from Km.25+000 to Km.59+000 (Design Chainage) in Nabarangapur District, in the State of Odisha hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days of the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Land Acquisition Officer, Nabarangapur, District Nabarangapur, Odisha** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

162 GI/13-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 25.00 to Km 59.00 (Nabarangpur - Koksara Section) of NH-201 in the state of Odisha.

Sl No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nabarangpur	Nabarangpur	Taragam	149	Govt. Land	N.H.	0.0125
				148	Pvt.Land	Paddy-I	0.0594
			Chikli	741	Pvt.Land	Atal	0.2351
				739	Govt. Land	N.H.	0.0474
				740	Pvt.Land	Atal	0.0096
				735	Govt. Land	Road	0.1467
				738	Pvt. Land	Dry-I	0.1639
				737	Pvt.Land	Paddy-II	0.2564
				742	Govt. Land	Drain	0.0252
		Papadahandi	Papadahandi	1297	Pvt.Land	House site	0.0015
				1296	Pvt.Land	House site	0.0019
				1283	Govt.Land	Dev. Work	0.0114
				1266	Govt.Land	Village Road	0.0013
				1226	Govt. Land	N.H.	0.0049
				1227	Govt. Land	N.H. (Drain)	0.0024
				1229	Govt. Land	N.H. (Drain)	0.0009
				1230	Govt. Land	N.H. (Drain)	0.0023
				1063	Govt.Land	Village Site	0.0085
				1062	Govt. Land	Well	0.0045
				1061	Pvt.Land	House site	0.0063
				1060	Pvt.Land	House site	0.0011
				1042	Govt. Land	Village Road	0.0020
				1034	Pvt.Land	House site	0.0034
				1033	Pvt.Land	House site	0.0026
				1032	Pvt.Land	House site	0.0027
				1031	Govt. Land	N.H. (Drain)	0.0156
				1029	Pvt.Land	House site	0.0029
				957	Govt. Land	Dev.Work	0.0027
				958	Govt. Land	Village Road	0.0026
				959	Govt. Land	Dev.Work	0.0013
				997	Govt.land	Village Site	0.0026
				984	Pvt.Land	House Site	0.0012
				987	Pvt.Land	House Site	0.0045
				988	Govt.land	H. Site School	0.0022
				989	Govt.land	H. Site School	0.0108
				977	Pvt.Land	House Site	0.0114
				379	Govt.Land	D-II	0.0039
				435	Pvt.Land	Paddy - I	0.0045

Sl No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
				436	Pvt.Land	Paddy – I	0.0294
				439	Govt.Land	P.W.D.Drain	0.0010
				660	Pvt.Land	Paddy – II	0.0202
				623	Pvt.Land	House Site	0.0494
			Bankosorgi	252	Govt. Land	N.H.Drain	0.0114
				253	Pvt.Land	Paddy – II	0.0123
				258	Pvt.Land	Paddy – II	0.0134
			Pradhaniguda	390	Govt. Land	Mango Top	0.0095
				391	Govt. Land	Village Site	0.0046
			Tumberlla	100	Govt. Land	Nalla	0.0035
				103	Pvt.Land	Paddy – II	0.0072
				115	Pvt.Land	Paddy – II	0.0071
				117	Pvt.Land	Paddy – II	0.0179
				118	Pvt.Land	Paddy – II	0.0336
			Dhansuli	968	Pvt.Land	Paddy – I	0.0386
				1004	Pvt.Land	Paddy – I	0.0268
				948	Pvt.Land	Paddy – I	0.0266
				837	Pvt.Land	Dr.-II	0.0326
				826	Govt. Land	Vill Forest	0.0494
				803	Govt. Land	Vill Forest	0.0070
				804	Govt. Land	Vill Forest	0.0371
				824	Govt. Land	Vill Forest	0.0352
				805	Pvt.Land	Paddy – II	0.0196
				823	Govt. Land	Vill Forest	0.0020
				814	Pvt.Land	Paddy – II	0.0027
				820	Pvt.Land	Paddy – II	0.0106
				818	Govt.Land	Crematin Gr.	0.0119
				813	Pvt.Land	Paddy – II	0.0136
				812	Pvt.Land	Dr.-II	0.0147
				208	Govt.Land	Crematin Gr.	0.0120
				206	Govt.Land	River	0.0064
				212	Govt.Land	River	0.0082
			Semela	1221	Govt. Land	Village Road	0.0085
				1007	Pvt.Land	Paddy – II	0.0141
			Maidalpur	733	Pvt.Land	House Site	0.0010
				734	Pvt.Land	House Site	0.0036
				735	Pvt.Land	House Site	0.0049
				736	Pvt.Land	House Site	0.0025
				754/1131	Pvt.Land	Dry.-I	0.0021
				773	Pvt.Land	House Site	0.0059
				774	Pvt.Land	House Site	0.0020
				775	Pvt.Land	House Site	0.0039
				778	Pvt.Land	House Site	0.0029
				866	Pvt.Land	Paddy-I	0.0287
				609	Pvt.Land	Paddy-II	0.0028

Sl No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
				608	Pvt.Land	Paddy-I	0.0260
				603	Pvt.Land	Dry.-I	0.0035

[F. No. RW/NH-12012/5/2011/SP (W. Bank)/(D-9)/P-9]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2013

का.आ. 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य में कालाहांडी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 201 के किमी 59+000 से किमी 80+000 (डिजाइन चैनेज) तक भूमि खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए वह भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है;

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, तहसीलदार, कोकासारा, कालाहांडी जिला ओडिशा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के बाद उसे आदेश द्वारा या तो अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की आयोजना और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है ।

अनुसूची

संरचना के साथ अथवा संरचना के बगैर अधिगृहीत की जाने वाली उस भूमि का संक्षिप्त विवरण जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 201 के किमी 59.00 से किमी 80.00 (नबरंगपुर-कोकासारा खंड) तक के भूमि के खंड के अंदर पड़ती है।

क्रमांक	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	प्रकार	प्रकृति	हेक्टेअर में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कालाहांडी	कोकासारा	अम्पानी	866	सरकारी भूमि	गोचर	0.2187
				859	निजी भूमि	अता खरी	0.0203
				825	निजी भूमि	अता खरी	0.0608
			कौडोला	991	निजी भूमि	अता मामुली	0.0568
				992	निजी भूमि	कछार	0.4493
				994	सरकारी भूमि	बगीचा	0.0405
				995	निजी भूमि	कछार	0.0162
				1024	सरकारी भूमि	River	0.2026
				1034	निजी भूमि	कछार	0.1864
				1029	सरकारी भूमि	कब्रिस्तान	0.0203
				1033	निजी भूमि	मल मामुली	0.0568
				1031	निजी भूमि	मल मामुली	0.0689
				1032	निजी भूमि	मल मामुली	0.0689
				1035	सरकारी भूमि	घास का मैदान	0.0203
				1037	निजी भूमि	अता मामुली	0.0081
				1038	सरकारी भूमि	घास का मैदान	0.0162
				1040	सरकारी भूमि	गांव की सड़क	0.0243
				1045	निजी भूमि	मल मामुली	0.1499
				1046	सरकारी भूमि	मकान	0.0040
				1041/2163	निजी भूमि	बहल पानी	0.0162

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12012/5/2011/एसपी (डब्ल्यू बैंक)/(डी-9)/पी-9]

माया प्रकाश, उप-सचिव

162 61/13-3

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2013

S.O. 122(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building maintenance, management and operation of National Highway 201 on the stretch of land from Km.59+000 to Km.80+000 (Design Chainage) in Kalahandi District, in the State of Odisha hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days of the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Tahasildar, Kokasara, Kalahandi District, Odisha** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 59.00 to Km 80.00 (Nabarangpur - Koksara Section) of NH-201 in the state of Odisha.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kalahandi	Kokasara	Ampani	866	Govt. Land	Gochar	0.2187
				859	Pvt. Land	Ata Khari	0.0203
				825	Pvt. Land	Ata Khari	0.0608
			Kaudola	991	Pvt. Land	Ata Mamuli	0.0568
				992	Pvt. Land	Kachhar	0.4493
				994	Govt. Land	Bagicha	0.0405
				995	Pvt. Land	Kachhar	0.0162
				1024	Govt. Land	River	0.2026
				1034	Pvt. Land	Kachhar	0.1864
				1029	Govt. Land	Burial Ground.	0.0203
				1033	Pvt. Land	Mal Mamuli	0.0568
				1031	Pvt. Land	Mal Mamuli	0.0689
				1032	Pvt. Land	Mal Mamuli	0.0689
				1035	Govt. Land	Grass Field	0.0203
				1037	Pvt. Land	Ata Mamuli	0.0081
				1038	Govt. Land	Grass Field	0.0162
				1040	Govt. Land	Vill Road	0.0243
				1045	Pvt. Land	Mal Mamuli	0.1499
				1046	Govt. Land	House	0.0040
				1041/2163	Pvt. Land	Bahal pani	0.0162

[F. No. RW/NH-12012/5/2011/SP (W. Bank)/(D-9)/P-9]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2013

का.आ. 123(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण [भाग II, खण्ड 3 (ii)] में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2591(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2011 [का.आ. 2274(अ), तारीख, 21 सितम्बर, 2012 के तहत यथा-संशोधित] में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है।

162 GI/13-4

अनुसूची

ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 (नबरंगपुर से कोकासारा खंड) पर भूमि अधिग्रहण

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूमि खंड	जिला	जिला	पुलिस स्टेशन	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नबरंगपुर	किमी 25.00 से किमी 59.00	नबरंगपुर	नबरंगपुर	नबरंगपुर	1. नबरंगपुर
						2. पढलगुडा/परहलगुडा
						3. खांडागुडा (कुमगुरा)
						4. तारागन
						5. चिकली/चिकिली
						6. धरनबेरा/धरनबेडा
			पापराहांडी	पापराहांडी		7. पापडाहांडी/ पापराहांडी
						8. बंकासोरगी/बंकासरगी
						9. प्रधानीगुडा
						10. तुम्बेरल्ला/तुमाराला
						11. धनसुली
						12. सेमला
						13. मैदलपुर
						14. टांगडापाला
						15. गोपीगुडा
2.	तहसीलदार कोससरा	किमी 59.00 से किमी 80.00	कालाहांडी	कोकासारा	कोकासारा	16. अम्पानी
						17. कंदागढ़
						18. सियुनी
						19. कौडोला
						20. सिरलीगुडा
						21. बंगोमुंडे
						22. कोकासारा

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12012/5/2011/एसपी (डब्ल्यू. बैंक)/(डी-9)/पी-9]

माया प्रकाश, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2013

S.O. 123(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number **S.O. 2591 (E), dated 18th November, 2011** (as amended vide **S.O. 2274(E), dated 21st September, 2012**), of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways, published in the Gazette of India, extraordinary [(Part II-Section 3(ii))], namely:-

The schedule of the said notification is amended and replaced as below

SCHEDULE

Land acquisition on National Highways No. 201 (Nabarangapur to Kokasara Section) in the State of Odisha.

Sl No.	Competent authority	Stretch of land	District	Taluk	Police Station	Name of Village
1	2	3	4	5	6	7
1.	Land Acquisition Officer, Nabarangapur	Km 25.00 to Km 59.00	Nabarangapur	Nabarangapur	Nabarangapur	1. Nabarangapur
						2. Padhalguda/Parhalguda
						3. Khandaguda(Kumagura)
						4. Taragan
						5. Chikli/Chikili
						6. Dharanabera/Dharanbeda
				Paparahandi	Paparahandi	7. Papadahandi/Paparahandi
						8. Bankosoragi/Bankasaragi
						9. Pradhaniguda
						10. Tumberlla/Tumarala
						11. Dhansuli
						12. Semala
						13. Maidalpur
						14. Tangarapala
						15. Gopiguda
2.	Tehsildar Koksara	Km 59.00 to Km 80.00	Kalahandi	Kokasara	Kokasara	16. Ampani
						17. Kandagarh
						18. Siuni
						19. Kaudola
						20. Sirliguda
						21. Bangomunda
						22. Kokasara

[F. No. RW/NH-12012/5/2011/SP (W. Bank)/(D-9)/P-9]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.